

**कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा भोपाल**

क्रमांक / 550 /स्था.अराज/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि/2024 भोपाल दिनांक 02/12/2024

//आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लांड एम.पी.ब्रांच विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-2/2013 आ.प्र./एक/भोपाल दिनांक 04.01.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र.296/1857412/2024/26-1 भोपाल 21.02.2024 के तहत दिव्यांगजनों के चिन्हांकित रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लाके स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सहायक मानचित्रकार के पद पर कॉलम-(5) में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतनमान लेवल-6, मैट्रिक्स-1 रु 25300-80500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3, एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार प्रथम तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

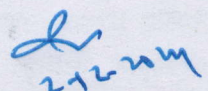
क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	दिव्यांगता का प्रकार	चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री सचिन गौतम, पिता श्री जगदीश प्रसाद गौतम 117, संतोषी विहार, अयोध्या बाय पास रोड भोपाल पिन- 462041	बहरे व कम सुनने वाले	सामान्य	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना खंड क्र-02 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
- 2 अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
- 3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.6 के प्रावधान अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जाँच कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाये एवं कंडिका 2.7 के प्रावधान अनुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा टेस्ट (BERA TEST) करवाना अनिवार्य है।
- 4 म.प्र.शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की सूचना देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह की सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
- 5 अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र/स्थाई निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल प्रति/विकलांगता प्रमाण-पत्र मूल एवं डिजिटल तथा उनकी छायाप्रतियां प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। जो मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भर्ती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अनुसार पद हेतु निर्धारित अर्हताये पूर्ण न करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
- 6 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्र.3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.19 के बिन्दु (अ) एवं (ब) के परिपेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर होगी तथा परीवीक्षा अवधि

में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

- 7 उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि/स्थायीकरण/वरिष्ठता/पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अध्याधीन होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अनुसार रहेंगे।
- 8 अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
- 10 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर सभी औपचारिकताओं सहित अपने पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 11 राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें एवं आदेश यथावत लागू होंगे।
- 12 कार्य एवं व्यवहार, असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवा एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।
- 13 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/2003/नियम-चार/भोपाल दिनांक 13.04.05 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 संबंधित चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), उसकी प्रविष्टि संबंधित की सेवापुस्तिका में की जावेगी, साथ ही संबंधित के सभी प्रयोजनों हेतु उसी सवर्ग का उल्लेख किया जावेगा।
- 15 म.प्र.शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होंगी।


(के.के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक/ 11053 /स्था.अराज/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि/2024 भोपाल दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 2 आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3 निज सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियंता लाके स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
- 4 महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 6 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजधानी परियोजना खंड क्रमांक-02 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आवेदको की उपस्थिति के समय उपर वर्णित कंडिकाओं अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों का भलीभांति परीक्षण किये जाने के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण कराये।
- 8 जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9 अभ्यर्थी श्री सचिन गौतम, पिता श्री जगदीश प्रसाद गौतम, 117 संतोषी विहार, आयोध्या बाई पास रोड भोपाल पिन- 462041 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। उपरोक्त आदेश में वर्णित सभी कंडिकाओं अनुसार समस्त दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रतियों के साथ आदेश प्राप्ती दिनांक से एक माह की अवधि में अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
- 10 आदेश नस्ती।


21.12.24
प्रमुख अभियंता